**अंतरिम आदेश पत्रिका दिनांक 01.10.2024**

अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकिशोर पिता रोहन रैकवार की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नालाल बैरागी ने उपस्थित होकर प्रकरण की शीघ्र सुनवाई बाबत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील कमांक 12306/23 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 में अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकिशोर की जमानत स्वीकार कर अर्थदंड अदा करने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण आज सुनवाई में लिया जाए। बाद विचार आवेदन में दर्शित कारण उचित एवं सदभाविक होने से आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री पी.एल0 रावत उपस्थित।

अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नालाल बैरागी उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त से उस पर अधिरोपित अर्थदंड **5000**/–रू अंकन–**पांच हजार** रूपए की वसूली हेतु नियत है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नालाल बैरागी ने अर्थदण्ड की राशि 5,000/–रू **पांच हजार रूपए** आन लाईन कोर्टफीस आईडी नंबर 279714/2024 चालान नंबर 24/000798 दिनांक 01.10.2024 से जमा कर रसीद पेश की गई है।

यह विविध प्रकरण अर्थदंड की राशि वसूली हेतु नियत है तथा आज अभियुक्त की ओर से उस पर दांडिक प्रकरण कमांक 7/20 राज्य वि नंदू उर्फ नंदकिशोर निर्णय दिनांक 02.08.2023 में अधिरोपत अर्थदंड की राशि **5000**/–रू जमा की जा चुकी है। अतः प्रकरण की पूर्व नियत तिथि निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम विधिवत् दर्ज कर अभिलेख न्यायिक अभिलेखागार सागर भेजा जावे।

(महेश कुमार झा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
देवरी जिला सागर